

6)



न्यायालय राजस्व मण्डल मोप० रवानियर

पुनरीक्षण मोक्ष

/06

R 960 | II | 06

माधृ पिता देवलाल

निवासी ग्राम ढकोरा तहसील व्यावरा

जिला राजगढ़ मोप०

-- आवेदक

वि०

1- मदनलाल पिता गोपीलाल

2- देवीलाल पिता गंगाराम दोनों निवासी ग्राम

(मो) ढकोरा तह० व्यावरा जिला राजगढ़ मोप०

- अनावेदकगण

न्यायालय अपर आयुक्त भौपाल सर्व होशंगावाद संभाग  
भौपाल द्वारा प्र० 259/93-94 अपील में पारित आदेश  
दिनांक 22.7.95 के बिल्ड मोप० भौपाल राजस्व संहिता की  
धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नलिखित निवेदन है -

मामले के संक्षिप्त कथ्य :-

- 1- यह टिक, आवेदक ने तहसील न्यायालय में एक आवेदन पत्र इस अश्य का प्रस्तुत किया था किंवदककी भौमि ग्राम ढकोरा में स्थान भौमि सर्वे नं. 3 जो उक अनावेदकके नाम्पर है।  
से स्थान वाइ हेतु पानी लेता रहा है। यह पानी सर्वे नं. 2 व 3 की मेट से होता हुआ सर्वे नं. 18 की मट से आवेदक की भौमि सर्वे नं. 17 में आता था। पानी के आने की रस्ते की भौमि को अनावेदक द्वारा तोड़ देने से जल स्त्रोत से बीचत कर दिया इसी पुकार अनावेदक ने सर्वे नं. 236 की भौमि पर ताल

29.5.06  
K. K. P. W. I.  
Advocate

25/11/06

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग - अ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 960-दो/2006

जिला राजगढ़.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकर्ते एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-11-2015	<p>उभय पक्ष अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। इस प्रकरण में पेशी दिनांक 5-8-07 को अनावेदक क्रमांक 2 देवीलाल के फौत होने की टीप सहित नोटिस वापस प्राप्त होने से लेख है आवेदक अभिभाषक को अनावेदक क्रमांक 2 का वारिसान आवेदन मय तलवाने के पेश करने के आदेश दिये गये थे। इसके पश्चात कुल 53 पेशीयां एवं 8 वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के पश्चात भी आवेदक अभिभाषक द्वारा मृत अनावेदक के वारिसान आवेदन मय तलवाने के जानकारी प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण प्रकरण अवैट किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। अभिलेख वापस भेजा जाये। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p> <p></p> <p>(डॉ. मधु खरे) सदस्य</p>	